रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति (लि0)

क्षेत्रीय कार्यालयः
समिति भूमि, ग्राम (छिजारसी)
प्रताप विहार, राष्ट्रीय मार्ग–24
गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

(पंजीकरण – 1616)

पत्राचार कार्यालय–
बी–23/ए, प्रथम तल, सैक्टर–62,
नौएडा–201301, फोन–0120–4222407
Email : rakshavigyansahakariawas@gmail.com

एजेंडा

दिनाँकः **23-03-2017**

रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति लिमिटेड, गाजियाबाद की विशेष सामान्य निकाय की बैठक दिनाॅक 09-04-2017 को पूर्वाह्न 11.30 बजे समिति के साइट स्थल (NH-24) पर आहूत की गयी है। बैठक का एजेंडा निम्न प्रकार है :-

1. समिति की प्रबंध कमेटी की बैठक दिनाँक 05-03-2017 एवं दिनाँक 11-03-2017 के अनुमोदन पर विचार।
2. समिति द्वारा बिल्डर के साथ किये गए एग्रीमेंट पर पुनर्विचार।
3. समिति के नामित सदस्यों को समिति का साधारण सदस्य बनाये जाने पर विचार।
4. समिति की भूमि / फ्लैट पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को मानचित्र स्वीकृति, विकास शुल्क व अन्य मद में देनदारी पर विचार।
5. समिति के पूर्व सचिव एवं पूर्व अध्यक्ष से समिति के समस्त अभिलेख एवं भूमि की मूल रजिस्ट्री, बैंक पास बुक / चेक बुक वर्तमान सचिव को प्राप्त न होने की स्थिति पर विचार।
6. फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया पर विचार।
7. सदस्यों के प्रस्ताव पर विचार।

प्रतिलिपिः-

1. समिति के समस्त सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु।
2. प्रबंध कमेटी एवं अध्यक्ष महोदय सूचनार्थ।
3. सहकारी अधिकारी (आवास विकास) उ० प्र० आवास विकास परिषद, सेक्टर-16A वसुंधरा, गाजियाबाद सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर आवास आयुक्त / अपर निबंधक उ० प्र० आवास विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ को प्रेषित।

सचिव

(संदीप सिंह)

सचिव
रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी
आवास समिति लि०, गाजियाबाद

प्रस्ताव संख्या 01

निर्णय

समिति की प्रबंध कमेटी की बैठक दिनांक 05-03-2017 एवं दिनांक 11-03-2017 के अनुमोदन पर विचार।	विशेष सामान्य निकाय की बैठक में सचिव द्वारा समिति की प्रबंध कमेटी की बैठक दिनांक 05-03-2017 एवं दिनांक 11-03-2017 में लिये गये निर्णय। पारित प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गया जिसका उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 02

निर्णय

समिति द्वारा बिल्डर के साथ किये गये एग्रीमेंट पर पुनर्विचार।	सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि समिति एवं अंतरिक्ष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड के मध्य दिनांक 09-02-2010 को ट्राई पार्टी एग्रीमेंट किया गया था। एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार बिंदु 09 समिति भूखंड पर बनने वाले फ्लैटों का ले-आउट प्लान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से स्वीकृत होने की तिथि से 36 माह (3 वर्ष) के भीतर फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण करना था। एग्रीमेंट के बिंदु संख्या 16 (vii) के अनुसार यदि बिल्डर ले-आउट प्लान स्वीकृति के 36 महीने के भीतर फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है तो वह 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से समिति को ब्याज फ्लैटों की मार्केट रेट पर अदा करेगा और समिति की साईट को अविलम्ब खाली कर देगा।

बिल्डर के अनुग्रह एवं पेनाल्टी अदा करने पर छः माह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। समिति की भूखंड पर बनने वाले फ्लैटों का ले-आउट प्लान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19-03-2010 को स्वीकृत किया गया था। दिनांक 18-03-2013 को अनुबंध के अनुसार बिल्डर द्वारा फ्लैटों का निर्माण पूर्ण कर समिति को हस्तगत करना था। पेनाल्टी के साथ छः माह की अवधि और जोड़ने के बाद दिनांक 18-9-2013 को बिल्डर द्वारा पूर्ण रूप से निर्मित फ्लैट समिति को हस्तगत करना चाहिए था। किन्तु अनुबंध के अनुसार निर्धारित समय से तीन वर्ष छः माह की अवधि से अधिक हो जाने के बाद भी आज तक निर्माण कार्य आधा अधूरा है। आज की परिस्थिति को देखते हुए अगले दो साल तक भी फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावना नहीं है। विचार-विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समिति एवं प्राटो डेवलपर्स एंड टेक्नॉलजीज एंड एसोलिएट्स एवं अंतरिक्ष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूरा न करने के संबंध में विधिक राय लेकर अनुबंध निरस्त करने के संबंध में कार्यवाही करने के लिए समिति कि प्रबंध कमेटी को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 03

निर्णय

समिति के नामित सदस्यों को समिति सचिव द्वारा बैठक में अवगत

समिति के साधारण सदस्य बनाये जाने पर विचार।

कराया गया कि समिति के पूर्व सचिवों श्री मृत्युंजय कुमार एवं श्री डी० डी० मंडार के कार्यकाल के दौरान समिति द्वारा ~~लगभग~~ पांच लो नामित सदस्य बनाये गये थे। उक्त नामित सदस्यों द्वारा समिति में आरक्षित प्लैटों के सापेक्ष धनराशि जमा की गई है। समिति भूमि पर बनने वाले प्लैटों की संख्या इतनी रहेगी जिसमें है समिति के मूल सदस्यों को सर्वप्रथम प्लैट देने के पश्चात नामित सदस्यों को भी प्लैट दिये जा सकते हैं। समिति भूमि पर उपलब्ध प्लैटों के साइज और प्लैटों की संख्या के आधार पर प्लैट आबंटन किया जायेगा। इसके लिये समिति की प्रबंध कमेटी उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 सहकारी समिति नियमावली 1968 एवं समिति की निबंधित उपविधि में वर्णित संगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करेगी।

विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति के नामित सदस्यों को समिति का साधारण सदस्य बनाया जाए। और उक्त कार्यवाही के लिये समिति कि प्रबंध कमेटी को अधिकृत किया गया। समिति सचिव/प्रबंध कमेटी आ० वि० प० से सदस्यता बढ़ाने के संबंध में कार्यवाही करें।

प्रस्ताव संख्या 04

निर्णय

समिति की भूमि/प्लैट पर गा० वि० प्रा० को मानचित्र स्वीकृति,

सचिव द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री

विकास शुल्क व अन्य मद में देनदारी पर विचार।

एस० एल० मालू एवं पूर्व सचिव श्री डी० डी० मंगार द्वारा समिति के सदस्यों एवं प्रबंध कमेटी के सदस्यों को जानकारी नही दी गई कि समिति भूमि पर बनने वाले कितने प्लैटों का मानचित्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है एवं विकास शुल्क व अन्य मद में कितनी धनराशि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में जमा की गई है ? तथा समिति पर उक्त मदों में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कितना बकाया (देनदारी) है ? उक्त संबन्ध में विचार विमर्श के सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति सचिव गा० वि० प्रा० से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त करें कि समिति कि भूमि पर बनने वाले कितने प्लैटों का मानचित्र स्वीकृत है एवं गा० वि० प्रा० को कितनी धनराशी देनी है ? उपरोक्त संबंध में निर्णय लिया जा सके इसके लिए प्रबंध कमेटी को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 05

समिति के पूर्व सचिव एवं पूर्व अध्यक्ष से समिति के समस्त अभिलेख एवं भूमि की मूल रजिस्ट्री, बैंक पास बुक एवं चेक बुक वर्तमान सचिव को प्राप्त न होने की स्थिति पर विचार।

निर्णय

समिति सचिव द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि समिति के पूर्व सचिव श्री डी० डी० मंगार एवं पूर्व अध्यक्ष श्री एस० एल० मालू से समिति के समस्त अभिलेख / प्रपत्र एवं भूमि की मूल रजिस्ट्री, बैंक पासबुक / चेक बुक वर्तमान सचिव को हस्तगत करने के लिये पत्र भेजा गया था। किन्तु अभी तक

उनके द्वारा समिति का कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया है। समिति के अभिलेख अभी तक प्राप्त न होने के कारण समिति के कार्य संचालन में कठिनाई आ रही है। विचार-विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व सचिव एवं पूर्व अध्यक्ष को समिति के अभिलेखों का चार्ज वर्तमान को देने के लिए एक और पत्र भेजा जाये। यदि उनके द्वारा तब भी समिति के अभिलेख वर्तमान सचिव श्री संदीप सिंह को नहीं सौंपे जाते हैं तो उनके विरुद्ध विधिक एवं कानूनी कार्यवाही की जाये। जिसके लिये समिति के सचिव एवं प्रबंध कमेटी को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 06

प्लैट आवंटन की प्रक्रिया पर विचार।

निर्णय

समिति सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि समिति के पूर्व सचिव श्री डी० डी० मेंगर एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश चंद द्वारा सदस्यों को प्लैटों के प्रोविजनल एलॉट-मैंट एवं धनराशि का माँग पत्र भेजा गया था। जो नियमों के विपरीत होने के कारण समिति की प्रबंध कमेटी कि बैठक 11-03-2017 के प्रस्ताव संख्या 05 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। विचार-विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति भूमि पर बनने वाले प्लैटों का मानचित्र गा० वि० प्रा० से स्वीकृति कराकर नियमानुसार

फ्लैटों का आवंटन सदस्यों के मध्य किया जाये। उक्त कार्यवाही करने के लिए समिति सचिव एवं प्रबंध कमेटी को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या - 07

	निर्णय
अन्य सदस्यों के प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार।	अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि उपस्थित सभी सदस्यों के प्रस्ताव निर्धारित प्रस्तावों में सम्मलित कर लिये गये हैं। अन्य कोई भी प्रस्ताव बैठक के समक्ष नहीं आया। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दिया।

एम० भास्कर नायडू
अध्यक्ष

संदीप सिंह
सचिव
रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी
आवास समिति लि०, गाजियाबाद